न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0—88/2025

1. सोगपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र मेहरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली बहिन रजनी पुत्री मेहरसिंह पत्नी रागदेव जाति बावरी निवासी निरंकारी भवन के पास, वार्ड नं0 03, खाराखेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पूजा बाई पुत्री मेहरसिह पत्नी गुरचरणसिह जाति बावरी निवासी वार्डनं0 01, वाटरवर्क्स के पास साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. रजनी पुत्री मेहरसिह पत्नी रागदेव जाति बावरी निवासी निरंकारी भवन के पास, वार्ड नं0 03, खाराखेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थितिः—श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 21/5/24

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 127/110 के प0न0 229/204 मु0 19 किला नं० 17, 18, 23, 24, कुल 1.012 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के नाम से चकनं0 4 केएचआर के खातासं० 151/58 के प0न0 228/204 मु० 18 किलानं013, 16,17/759, 18/1/.251, प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 19,20 कुल 1.516 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चकनं0 4 केएचआर के प0न0 228/204 मु0 18 किलानं0 4, 5, 15, 16, 25 में स्वीकृत शुदा गै०मुव रास्ता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में काश्त करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रासता नही है । प्रार्थी, अप्रार्थी सं० 1 ता 3 की कृषि भूमि चक 4 के एच आर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 19, 20 में से होकर अपनी कृषि भूमि चक 4 के. आर मे प०न० 229/204 मु0 19 किलानं0 17, 18, 23, 24 में प्रवेश करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे दर्ज रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है । उक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थी चक नं0 4 कऐचआर के प०न० 229/204 मु0 19 किलानं0 19, 20/1 प्रत्येक किला में .015 है० चौड़ा रास्ता उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहता है। प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले में डी.एल.सी रेट की दोगुनी राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे दर्ज चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर गै०मु० रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी के निवेदन को मानने से इन्कार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पेश है कि चक नं0 4 कऐचआर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 19, 20/1 प्रत्येक किला में .015 है0 चौड़ा रास्ता उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व स्वीकृत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की सम्यक रूप से तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 न तो स्वंय न ही उनका कोई विधिक पैरोकार न्यायालय में उपस्थिति आने के कारण अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। (2) विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो। (3) प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक नं0 4 कऐचआर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 19, 20/1 प्रत्येक किला में .015 है0 चौड़ा रास्ता उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के खातेदारी भूमि में प्रवेश हेतु निकटतम रास्ता है तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त प्रस्तावित रास्ते का मिलान प0न0 212/228 मु0 18 के किला न0 5,6,15,16,25 में स्वीकृत शुद्धा रास्ते से हो रहा है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृत शुद्धा/वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए नही है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होने एंव प्रस्तावित रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक नं0 4 कऐचआर के प0न0 229/204 मु0 19 किलानं0 19, 20/1 प्रत्येक किला में .015 है0 चौड़ा रास्ता उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी के चिपते प्रार्थी के किला न0 18 व 23 में पश्चिमी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण स्वीकृत किये गये रास्ते की कॉर्नर को छोडते हुए उतना ही हिस्सा अप्रार्थी के नाम से दर्ज किया जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे उक्तानुसार स्वीकृत किये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अगल दरागद करें।

निर्णय आजदिनांक 26/5/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़